

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :-F4(ई)(1)(6)वरिष्ठता/कनि0लेखा0/अलेसे-III/2023-24/186 दिनांक :- 23-5-2023

कार्यालय आदेश


विभागीय कार्यालय आदेश संख्या F4(ई)(1)(6)वरिष्ठता/कनि0लेखा0/अलेसे-III/2023/01/2023-24 दिनांक 01.04.2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में कनि0 लेखाकार (टीएसपी क्षेत्र) की अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर दिनांक 25.04.2023 तक लिखित अभ्यावेदन/आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी। उक्त क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन/आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् संशोधन उपरान्त दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में कनि0 लेखाकार (टीएसपी क्षेत्र) की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाती है।

उक्त वरिष्ठता सूची विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों एवं लम्बित प्रकरणों में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार परिवर्तनशील रहेगी।

क्र.	लिंक नं.	मेरिट/बैच	नाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	वर्ग	वि0 वि0
1	10514	1316/2013	खुशवंत पाटीदार	05.04.92		बन्द लिफाफा
2	10522	1343/2013	योगेश चन्द्र श्रीमाली	04.07.83		आस्थगित
3	10363	3576/2013	कांतिलाल बामनिया	20.05.85	ST	आस्थगित
4	10352	3593/2013	शंकर लाल	01.08.84	ST	
5	10310	3600/2013	लीला तीरगर	10.08.90	SC	
6	12505	3621/2013	भूपेन्द्र खराडी	25.06.94	ST	आस्थगित
7	43425	3627/2013	मुकेश कुमार	09.08.92	ST	अस्थाई

नोट:-जिन लेखाकर्मियों के नाम के आगे विशेष विवरण में बन्द लिफाफा, आस्थगित, पदोन्नति परित्याग अंकित है, वे अभी कनि0 लेखाकार ही हैं। बन्द लिफाफा प्रकरणों में विभागीय जाँच के परिणाम के अनुसार तथा आस्थगित प्रकरणों में डीपीसी हेतु वांछित अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/संतान घोषणा पत्र) पूर्ण होने पर रिव्यू डीपीसी के निर्णयानुसार वरिष्ठता अंतिम रूप से निर्धारण योग्य होगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक :-F4(ई)(1)(6)वरिष्ठता/कनि0लेखा0/अलेसे-III/2023-24/186

दिनांक :- 23-5-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (कार्मिक-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
6. श्री.....कनि0 लेखाकार, कार्यालय
7. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)